न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.D No-UP 5743

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–323 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2296 / 2026

(CNR UPLP 010049892026)

महिपाल सिंह आयु लगभग 75 वर्ष पुत्र स्व0 वीरसेन सिंह, निवासी ग्राम मूड़ा खुर्द, थाना–गोला, जिला–खीरी।

.....प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी।

वाद सं0–1183 / 2021

मु0अ0सं0–225 / 2021

धारा–406, 352, 506 भा0दं0सं0,

थाना–भीरा, जिला–लखीमपुर खीरी

20.07.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / अभियुक्त महिपाल सिंह की ओर से वाद सं0–1183 / 2021, मु0अ0सं0–225 / 2021, धारा–406, 352, 506 भा0दं0सं0, थाना–भीरा, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है। प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय अथवा किसी सत्र न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही निरस्त किया गया है।

3. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी / अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, प्रार्थी / अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया गया है। कथित घटना दिनांक 29.05.2021 की बतायी गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.06.2021 को संबंधित थाना भीरा जिला खीरी में विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं

दर्शाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि वादी शिशर अग्रवाल व एक व्यक्ति संजय बसंल ने मिलकर भट्ठे में साझा फर्म के तहत 40–40 प्रतिशत की भागीदारी की तथा 20 प्रतिशत की भागीदार अभियुक्त की थी। वादी ने फर्म के नियम के विपरीत चोरी से पैसे फर्म के खाते से निकाल कर व्यक्तिगत खर्च के लिये बिना किसी को बताये ले लेते थे और हिसाब–किताब में गड़बड़ी करते थे, इस बात की जानकारी हो जाने पर जब अभियुक्त ने हिसाब–किताब पूछा और पैसो की गड़बड़ी के बारे में बात–चीत की बस इसी बात से नाराज हो करके वादी मुकदमा ने फर्म को आगे न चलाने की बात कहीं और फर्म को समाप्त कर दिया गया। हिसाब–किताब में जो पैसा अभियुक्त का बनता था, उसे अभियुक्त ने वादी से देने की बात कही तब सारे पैसे तत्काल 20 प्रतिशत के हिस्से के अभियुक्त को वादी के द्वारा दिये जाने की जिम्मेदारी वादी की बन गयी थी। इसी बात की रंजिश वादी अभियुक्त से मानने लगा और पैसा दे देने के बाद बदले की भावना से उक्त फर्जी मुकदमा अभियुक्त के विरूद्ध सांठ–गांठ से कायम करवा दिया गया। वादी ने जो रसीदे ईंटों के बावत बतायी है, उन रसीदों में न तो अभियुक्त का नाम लिखा है न पता लिखा है न ही अभियुक्त के रसीदों पर कोई हस्ताक्षर है न ही ईंटे`ने के बाबत कोई रसीद अभियुक्त के हस्ताक्षर से दी गयी है। फर्म समाप्त हो चुकी है और अभियुक्त को फर्म का अपने हिस्से का पैसा मिल चुका है। वादी अपनी मनमानी व बेईमानी नहीं कर पाया इसी बात की रंजिश मानते हुये उक्त मुकदमा अभियुक्त के विरूद्ध बिना किसी आधार के सांठ गांठ से लिखवा दिया है। अभियुक्त एक 75 वर्षीय वृद्ध व कमजोर, हृदय रोग, मस्तिष्क रोग व अन्य लीवर आदि की गम्भीर बीमारियों से ग्रसत व्यक्ति है तथा अभियुक्त का इलाज इन गम्भीर बीमारियों के बात पिछले अरसा करीब 14 साल से चल रहा है, जो वर्तमान में भी कायम है। घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त अपनी अग्रिम जमानत अपनी बीमारी की स्थिति को देखते हुये ही करवाना चाहता है और दी गयी जमानत सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के तहत दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करेगा तथा न्यायालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश को मानेगा। अभियुक्त अग्रिम जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना कहीं बाहर नहीं जायेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की अग्रिम जमानत मंजूर किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

4— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा शिशिर अग्रवाल स्वामी मै0 अग्रसेन ब्रिक फील्ड द्वारा एक लिखित तहरीर संबंधित थाने पर दिनांक 15.06.2021 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि उसने दिनांक 29.05.2021 व 30.05.2021 को महिपाल सिंह पुत्र वीर सिंह को पॉच किस्तों में 25,000 ईंट अपने वाहन द्वारा 5300/—रूपये प्रति हजार की दर से बेची थी, जिसका कुल भुगतान 1,32,500 बना था, जिसे पांच दिन बाद देने की बात कही थी। वादी ने पॉच दिन बाद पैसे मांगे तो बीमारी का कारण बताकर टाल दिया और जोर—जोर से चिल्लाने लगा कि वह उसे जानता नहीं है, वह एक भी पैसा नहीं देगा और ज्यादा कहोगे तो हाथ पैर तोड़ देगा और इलाके में व्यापार भी नहीं करने देगा। आमादा फौजदारी हो गया और जान से मारने की धमकी दिया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर दिनांक 29.05.2021 को समय अदम तहरीर, स्थान मै0 अग्रसेन ब्रिक फील्ड बहद ग्राम कन्नापुर थाना भीरा जिला खीरी में वादी मुकदमा पर गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा करने या आपाधिक बल का प्रयोग करने, आपराधिक न्यास भंग करने एवं वादी को जान माल की धमकी देने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। वादी शिशिर अग्रवाल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा—180 बी0एन0एस0एस0, में कथन किया है कि दिनांक 28.05.2021 को उसके पास महिपाल सिंह ने फोन किया कि उसे 25,000/—ईट की आवश्यकता है। उसके झाले पर ईंट भेज दो, जिस पर उसने महिपाल सिंह को 5300/—रूपये प्रति हजार ईंट का भाव बताया जिस पर उसने कहा ठीक है ईंट झाले पर भेज दो वही पर वह पैसे दे देगा, जिस पर उसने दिनांक 29.05.2021 को अपने ट्रेक्टर सोनालिका से 10,000 ईंट चालक मूलचन्द्र व लेवर को लेकर महिपाल सिंह के झाले पर मूड़ा खुर्द भिजवा दी, जब उसका ड्राइवर व लेवर वापस ईंट उतारकर आये तो उन्होंने उसे बताया कि उसने पैसे मांगे तो उन्होंने बताया कि सारी ईंट आ जायेगी तभ्झी वह पैसे दे देगा, जिस पर उसने दिनांक 30.05.2021 को 15,000 ईंट पुनः भरकर चौधरी के झाले पर भिजवा दी, लेकिन उसने पैसे उसके चालक व लेवर को नहीं दिये जब उसने चौधरी साहब से ईटों के पैसे मांगे तो चौधरी साहब गाली गलौच करते हुये

हमलावर होकर दौड़ पड़े और कहने लगे वह किसी को पैसे नहीं देगा। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, जिसमे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No 10145 of 2023 Iddu And 4 Others Vr State Of U.P. And 2 Others निर्णय दिनांक 18.09.2023 के प्रस्तर–15 में यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत के पीछे विधायिका का उद्देश्य झूठे अभियोजन के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। उपरोक्त के दृष्टिगत स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत का उपचार वहीं प्रदान किया जा सकता है, जहां प्रार्थी/अभियुक्त की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता का, लेश मात्र का भी साक्ष्य न हो।

7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टांत मध्य प्रदेश राज्य प्रति प्रदीप शर्मा, (2014)2 SCC 171 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत हेतु धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग असाधारण एवं अपवादित मामलों में वहीं पर किया जाना चाहिए, जहां आवेदक व्यक्ति को मिथ्या फंसाये जाने का आधार हो। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता से प्रथम दृष्टया इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार अग्रिम जमानत पर्याप्त नहीं है। तद्नसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त महिपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

दिनांक–20.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.23 10:54:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court